



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 2, February 2022

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.569

 9940 572 462

 6381 907 438

 ijirset@gmail.com

 www.ijirset.com

कृषि की नई प्रौद्योगिकी का किसानों की आय व रोजगार पर प्रभाव

हरि राम मीना

सहायक प्रोफेसर, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान

सार

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करता है। यह क्षेत्र उद्योगों के विशाल क्षेत्र के लिए भोजन, चारा और कच्चे माल की सप्लाई करता है। भारत में कृषि क्षेत्र अभी भी लाखों लोगों की आजीविका का प्राथमिक स्रोत है और देश में कुल कार्यबल का 40 फीसद से अधिक अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए, न केवल ग्रामीण लोगों के बीच खरीद क्षमता उत्पन्न करने के लिए, बल्कि कीमतों में स्थिरता, मांग में बढ़ोतरी और रोजगार सृजन के लिए कृषि क्षेत्र में लगातार वृद्धि अनिवार्य है। माननीय प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी, 2016 को बरेली में राष्ट्र के नाम संबोधन में किसानों की आय को दोगुना करने के विजन की घोषणा की। इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए छह साल (2016-17 से 2022-23) की समय सीमा को निश्चित किया गया था। किसानों की आय को दोगुना करने के रोडमैप में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, पशुधन के उत्पादन में वृद्धि, इनपुट के उपयोग की दक्षता में सुधार, फसल गहनता में वृद्धि, अधिक मूल्य वाली विविध फसलों की खेती, किसानों द्वारा बेहतर कीमतों की प्राप्ति, और गैर-कृषि नौकरियों में बढ़ोतरी को शामिल किया गया है। एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दी है। इस संबंध में, कृषि उत्पादों का निर्यात इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कदम से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होने, पारंपरिक कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी के खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात की ओर स्थानांतरित होने और युवाओं की बढ़ती अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल कार्यबल के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

परिचय

भारत को विश्व स्तर पर कई कृषि और संबंधित उत्पादों का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। विश्व स्तर पर, भारत को विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों की उपलब्धता के साथ दूध, केला, आम, अमरूद, पपीता, अदरक, भिंडी, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, चाय, गन्ना, काजू, अनाज, नारियल, सलाद पत्ता (लेट्टुस), चीकरी, इलायची और काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत दुनिया की 2.4 फीसद भूमि और 4 फीसद जल संसाधन के साथ दुनिया की लगभग 18 फीसद आबादी का भरण-पोषण कर रहा है। इसलिए उत्पादकता, फसल कटाई के पूर्व और पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्धन, प्रौद्योगिकी का उपयोग और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास भारतीय कृषि के लिए आवश्यक हैं। सरकार का यह विजन इस विश्वास को मजबूत करता है कि कृषि क्षेत्र, जो भारत के परिश्रमी किसानों द्वारा संचालित है, देश के विकास मार्ग के प्रमुख स्तंभों में से एक है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर विकास संभावनाएं हैं। कृषि क्षेत्र की वृद्धि से किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान होगा और उनकी आय का स्तर भी बढ़ेगा। [1,2]



महामारी Covid-19 की मौजूदा कठिन परिस्थितियों में, कृषि सबसे नाजुक क्षेत्र है। ऐसे समय में, हमारे पास कृषि क्षेत्र को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में घोषित राहत उपायों द्वारा और प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि के विकास को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का अवसर है। इससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का विकास भी होगा और देश की समग्र आर्थिक विकास की गति भी बढ़ेगी।

किसानों और कृषि क्षेत्र के उपायों में ग्रामीण चिंता को दूर करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मांग और विकास को समर्थन देने, रोजगार सृजित करने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करने में सहायता करने की दिशा में ध्यान केंद्रित किया गया है। रबी उत्पादनों का फसल उपरांत प्रबंधन और खरीफ फसलों के लिए प्रारंभिक कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए, नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी कोष और 2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण किसानों को प्रदान किए गए हैं। किसानों को एपीएमसी में केवल लाइसेंसधारियों को कृषि उपज बेचने का मानदंड को हटाने की घोषणा बेहद सराहनीय है क्योंकि यह उन्हें एक आम बाजार में आकर्षक कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करेगा। [3,4]

किसानों को बेहतर मूल्य की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से निजी निवेश को आकर्षित करने और कृषि क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और अनाज, खाद्य तेलों, तिलहन, दालों, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को नियंत्रण-मुक्त करने की घोषणा की गई है। किसानों को एक बेहतर मूल्य प्राप्ति की दिशा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से सभी फलों और सब्जियों (टोटल) के लिए किया गया है। इससे बर्बादी कम होगी और उपभोक्ताओं के लिए सस्ते उत्पादों का बढ़ावा मिलेगा।

कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए एक लाख करोड़ रुपये के आवंटन से किसानों के लिए खेतों के आसपास के क्षेत्र में कोल्ड चैन और फसल-पश्चात प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन से समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य और जलीय कृषि के उत्पादन और निर्यात को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा और मछली पकड़ने के बंदरगाह, कोल्ड चैन और बाजारों के लिए बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी। 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की घोषणा से डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को जबरदस्त समर्थन मिलेगा।



Prarañg



ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में सहायक गतिविधियों को बढ़ावा, आय में वृद्धि, महिलाओं की क्षमता का विकास और उपभोक्ताओं को अधिक गुणवत्ता वाले शहद की डिलीवरी और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई है। इसके अलावा, भारत में हर्बल खेती को बढ़ावा देने और साथ ही आने वाले समय में किसानों की आय में अहम बढ़ोतरी के लिए 4,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ अगले 2 वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर को हर्बल खेती के दायरे में लाए जाने का निर्णय लिया गया है। [5,6]

कृषि मार्केटिंग सुधारों को लागू करने के निर्णय, कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन और 100 फीसद पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पशु रोग कार्यक्रम के तहत 13,343 करोड़ रुपये के कुल व्यय से कृषि और संबद्ध क्षेत्र को बहुत आवश्यक रफ्तार मिलेगी।

किसानों, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन कई राहत उपायों से किसानों की आय दोगुनी करने और आत्म-निर्भर भारत के निर्माण करने के हमारे माननीय प्रधान मंत्री के विजन के साकार होने की संभावना है। इसके साथ ही, क्लस्टर आधारित रणनीति के तहत माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज़ (MFE) की औपचारिकता के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड हमारे माननीय प्रधान मंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' के विजन को और मजबूत करेगा और विश्व स्तर पर हमारी पहुंच बढ़ेगी।

अन्य दूरगामी सुधारों के अलावा, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि क्षेत्र को लेकर एक्शन पॉइंट पर व्यवस्थित फोकस काफी उत्साहजनक है। बजट में कृषि, सिंचाई और संबद्ध गतिविधियों के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने, कृषि आय बढ़ाने, खपत-मांग बढ़ाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बढ़ावा देना है। [7,8]



इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान, कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं और पहलों की घोषणा की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार(NAM) के तहत अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ, प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), समर्पित ऑनलाइन इंटरफ़ेस ई-कृषि संवाद, किसान उत्पाद संगठनों (FPQ), माइक्रो इरिगेशन फंड (MIF), पशुधन, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए योजनाओं के अनुकूल करारान हैं।

आगे हम देखते हैं कि, छोटी अवधि में, किसानों के साथ-साथ कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, और जहां भी संभव हो, कृषि क्षेत्र और किसानों पर से महामारी Covid-19 के प्रभाव को कम करने के लिए और इस क्षेत्र के विकास की रफ्तार को तेजी प्रदान करने और इस तरह कृषि आय बढ़ाने के लिए उपाय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में होना चाहिए, कृषि प्रसंस्करण/खाद्य प्रॉसेसरो/फूड पार्कों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए 12 महीनों की अवधि के लिए 4% ब्याज छूट होना चाहिए, कृषि प्रसंस्करण/ प्रसंस्कृत खाद्य मैन्युफैक्चरर्स के सभी उत्पादों के लिए जीएसटी स्लैब में 4 फीसद की तत्काल कमी आवश्यक है। [9,10]

मध्यम और लंबी अवधि में, कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सुधार की आवश्यकता है। किसानों की पूंजी की लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ताकि वे कम लागत की उधारी पर कृषि गतिविधियों को करने में सक्षम हो सकें। गांवों की आसान पहुंच के भीतर, विशेष रूप से अत्यंत छोटे किसानों के लिए पर्याप्त और कुशल वेयरहाउसिंग की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे वे अपनी उपज को न्यूनतम कीमतों पर स्टोर कर सकते हैं, और ऋण के लिए भंडारण की रसीद का उपयोग कर सकते हैं, या बाद में कीमत बढ़ने पर अनाज को बाजार में बेच सकते हैं। इसके अलावा, आगे जिन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए उनमें किसानों को मशीनीकृत खेती को अपनाने के लिए शिक्षित करना, बर्बादी को 30 से 35 फीसद के मौजूदा स्तर से 10 फीसद तक कम करना, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, तकनीकी सुधार के साथ कृषि को और अधिक आधुनिक बनाना अहम है।

संक्षेप में, कृषि भारत में आम जनता की आजीविका के लिए एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। इसका मांग और सप्लाई को लेकर अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से गहरा संबंध होता है। आगे बढ़ते हुए, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात को बढ़ावा देना भारत के लिए वैश्विक मानचित्र पर स्थान बनाने और किसानों की आय की बढ़ोतरी में योगदान करने के लिए काफी महत्व रखता है। [11,12]

विचार – विमर्श

कृषि क्षेत्र के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए कुछ सुझाव हैं:



- **कृषि व्यवसाय की सुगमता पर ध्यान दें:** कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए व्यवसाय करने में आसानी का होना काफी अहम है। देश भर में विभिन्न नीतिगत विकास, प्रोत्साहन की पेशकश, कृषि सहायक संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं के लिए एक स्थान पर जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए माहौल को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
- **क्लस्टर अप्रोच का विकास और बढ़ावा :** क्लस्टर अप्रोच को बढ़ावा देने और कृषि आधारित अधिक खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने से मूल्य श्रृंखला में विभिन्न चरणों में लगातार बुनियादी ढाँचे की सुविधा को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों को लंबे समय तक सहायता मिलेगी।
- **कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करते रहने की आवश्यकता:** सड़क तक पहुंच, ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क को बेहतर करने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर ढाँचे में सुधार करने की आवश्यकता है। कच्चे माल के सप्लायरों और प्रसंस्करण यूनिटों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बाजारों का गांवों से संपर्क बेहतर करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आने वाले समय में पीपीपी मोड पर स्थलीय बन्दरगाह सहित लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और बन्दरगाह के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ाना:** छोटे पैमाने पर और असंगठित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में आमतौर पर काफी अधिक संख्या में अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल ग्रामीण श्रमिक होते हैं। बेहतर और अनुकूल कामकाजी माहौल बनाने के लिए, जनशक्ति के प्रशिक्षण और कौशल विकास, निरंतर प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन, विविधीकरण और उत्पादों की मार्केटिंग, खाद्य सुरक्षा और आवश्यकताओं के बारे में जानकारियों में बढ़ोतरी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन पर ध्यान दें:** अनुसंधान और विकास, विशेष रूप से पैकेजिंग, उत्पाद विकास, खाद्य प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में, को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रायोजित (स्पॉन्सर्ड) अनुसंधान और अनुदानों के प्रावधान को समय-समय पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **गुणवत्ता मानकों/प्रमाणन का कार्यान्वयन:** वैश्विक मानचित्र पर भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खाद्य उत्पादों की न्यूनतम गुणवत्ता/मानक का पालन आवश्यक है। बड़े पैमाने पर सेमिनारों, कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से खाद्य उत्पादों के मानकों की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। [13,14]

परिणाम

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिये फसल उत्पादकता को 4.1 प्रतिशत और संवर्द्धित पशुधन मूल्य को 6.0 प्रतिशत की दर से बढ़ाना होगा। TFP (जो मुख्यतः कृषि अनुसंधान और विकास का परिणाम है), विस्तार सेवाओं, नए ज्ञान, दक्षता व्यवहार, जैसे- प्रेसिजन कृषि में सालाना 3.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि करनी होगी। भारतीय किसानों को दो फसलों वाली भूमि के प्रतिशत को मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत करना होगा। उच्च मूल्य वाली फसलों वाली भूमि में प्रति वर्ष 4.4 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बाज़ार सुधार भी इस प्रकार करने होंगे जिनसे किसानों को वास्तविक अर्थों में आधार स्तर से 17 प्रतिशत अधिक मूल्य मिल सके। इसके लिये किसानों को मिलने वाले मूल्यों में प्रति वर्ष 2.26 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कुल मिलाकर, जोतदारों की कुल संख्या में प्रति वर्ष 2.4 प्रतिशत की कमी करनी होगी। मधुमक्खी, पालन, जैसे संबद्ध क्रियाकलापों के अलावा कृषि भूमि पर वानिकी आदि से भी कृषि आय में वृद्धि हो सकती है।

पशुधन उत्पादकता

देश में पशुधन की उत्पादकता बेहद कम है। पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिये नस्ल संवर्द्धन, बेहतर चारा और पोषाहार, पशु स्वास्थ्य तथा बेहतर झुंड समूहबद्धता आवश्यक है। विकास पहलों के लिहाज से 2022-23 तक निम्नांकित लक्ष्यों के सुझाव दिये जाते हैं:



भारत में दुधारू पशुओं और भैंसों में कृत्रिम गर्भधान बमुश्किल 35 प्रतिशत है। कृत्रिम गर्भधान कम रहने का एक मुख्य कारण है- सीमेन स्ट्रॉ। कृत्रिम गर्भधान को उचित स्तर तक पहुंचाने के लिये हमें 160 मिलियन सीमेन स्ट्रॉ की आवश्यकता है जबकि उपलब्धता केवल 81 मिलियन की है। फिलहाल गर्भधान योग्य 4 मिलियन भैंसों, क्रॉसब्रीड वाले 1.3 मिलियन पशुओं और गर्भधान योग्य 6 मिलियन स्वदेशी पशुओं का प्रजनन हुआ ही नहीं है। इनमें से कम-से-कम 2 मिलियन भैंसों, 0.8 मिलियन क्रॉसब्रीड और 3 मिलियन स्वदेशी पशुओं के मामले में प्रजनन के द्वारा इनकी संख्या 2020 तक और बढ़ जानी चाहिये। 2020 तक भैंसों के युवा होने की उम्र को 3-4 महीने कम करना होगा। फिलहाल मुर्रा भैंसे लगभग 33 माह की उम्र में युवावस्था को प्रपूत करती हैं।

मूल्य संवर्द्धन को प्रोत्साहन

अनौपचारिक या परंपरागत आपूर्ति शृंखलाएँ भारत में कृषि की विशेषताएँ हैं जो स्थानीय मध्यस्थ व्यक्तियों और उसके बाद लघु स्थानीय भंडारों को उत्पाद उपलब्ध कराती हैं। औपचारिक मूल्य संवर्द्धन उसी उत्पाद को सामान्यतः बेहतर अथवा अधिक समान गुणवत्ता में, अधिक वाणिज्यिक फर्मों- थोक विक्रेताओं, सुपर बाज़ारों या निर्यातकों को उपलब्ध करवा सकते हैं। लघु उत्पादकों को

घरेलू और निर्यातोन्मुखी दोनों प्रकार के अधिक आधुनिक मूल्य संवर्धन में समेकित करने के लिये मार्ग खोजने की आवश्यकता है। [15,16]

- किसानों द्वारा उपज का अधिकांश भाग कच्चे माल के रूप में बेचा जाता है जो फसल कटाई के बाद खेतों से मंडी लाया जाता है। इससे बाज़ार में आधिक्य की स्थिति पैदा हो जाती है और कीमतें कम रह जाती हैं। किसान कमी के महीनों में बेचने के लिये उपज नहीं रखते हैं। अब भंडारगृह प्राप्ति और WDRRA पंजीकृत भंडारगृहों में उपज को रखने के लिये प्रावधान है। इस सुविधा का लाभ कुछ किसान ही उठाते हैं।
- शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में मूल्यों का एकदम नीचे आना आम बात है। कृषि भूमि पर स्थित भंडारण सुविधा की कमी, उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के वैज्ञानिक तरीकों की कमी और देश में खराब प्रसंस्करण आधार, मूल्यों में एकदम कमी के कुछ कारकों में से है।
- यदि बाज़ार सुधारों को गंभीरता से कार्यान्वित किया जाता है, तो यह एक बड़े पैमाने पर मूल्य संवर्द्धनों सहित कृषि में निजी क्षेत्रक के प्रवेश के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा।

उत्पादकों के संगठनों को प्रोत्साहन

कृषि कार्य बहुत ही छोटे आकार की उत्पादन इकाइयों द्वारा किया जाता है जो छोटे आकार की कृषि जोतों पर कृषि करते हैं और उनके पास कुछ पशुधन होता है। ऐसी प्रचालनात्मक इकाइयाँ उनके छोटे आकार, खराब सौदेबाजी क्षमता और बाज़ार तक अपर्याप्त पहुँच के कारण अपने स्तर पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होती हैं। ऐसे उत्पादकों को सामूहिक कार्य, संसाधनों के संग्रहण, समूह विपणन और फसल की कटाई उपरांत मूल्य वृद्धि कारण के लिये संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। केंद्र के स्तर पर एसएफएसी और नाबार्ड देश में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तथापि देश के आकार को ध्यान में रखते हुए एफपीओ के सृजन, पोषण और स्थापना में राज्य स्तरीय एजेंसियों को शामिल करने की आवश्यकता है। अन्य व्यवसाय कंपनियों की तरह कृषि व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिये किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPC) के गठन को सुसाध्य बनाने के लिये कानूनों में प्रावधान सृजित किये गए हैं। [17,18]



उत्पादन को प्रसंस्करण से जोड़ना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक श्रम गहनता वाला उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण का बढ़ावा देना रोज़गार सृजन और कार्यबल का कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरण करने में सहायता प्रदान करेगा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिये विभिन्न पहलों की आवश्यकता है जिनमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों की सक्रिय और समन्वित भागीदारी अपेक्षित है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये, इस लक्ष्य के लिये महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्र जल संसाधन, खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक, उधार, अवसंरचना और ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। किसानों की आय दोगुना करने संबंधी सफलता मुख्यतया राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों की कार्रवाई और उनकी सहभागिता पर निर्भर करेगी।

किसानों की आय में वृद्धि के स्रोत

किसानों की वास्तविक आय को 2015-16 के आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 तक दोगुना करने के लिये किसानों की आय में 10.41 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर अपेक्षित है। इसका अर्थ यह है कि कृषि आय की वर्तमान और पूर्व में हासिल की गई वृद्धि दर को तेज़ी से बढ़ाना होगा। अतः कृषि क्षेत्रक के अंदर और बाहर किसानों की आय को बढ़ाने के सभी संभावित स्रोतों का सदुपयोग करने के लिये सशक्त उपायों की ज़रूरत होगी। कृषक क्षेत्रक के अंतर्गत प्रचालनरत, वृद्धि के प्रमुख स्रोत निम्नानुसार हैं:

सकल कारक उत्पादकता में सुधार

सकल कारक उत्पादकता (TFP) में सुधार, उत्पादन बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो लागतों की बचत और इस प्रकार आय को बढ़ाने में प्रत्यक्ष योगदान देता है। TFP, उत्पादन का वह भाग है जिसके बारे में उत्पादन में उपयोग की गई निवेश सामग्री की मात्रा से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। TFP, उत्पादन में किये गए कुल इनपुट्स में वृद्धि की तुलना में सकल उत्पादन वृद्धि संबंधी प्रावधानों के लिये उत्तरदायी है। TFP की वृद्धि दर प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, कौशल, अवसंरचना आदि जिनकी उत्पादन इनपुट्स के सैट में गणना नहीं की जाती है के प्रभाव को दर्शाती है। इसमें उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले इनपुट्स की कुशलता में वृद्धि भी शामिल होती है। [19,20]



उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधीकरण

उच्च मूल्य वाली फसलों (HVC) की ओर विविधीकरण, किसानों की आय में बढ़ोतरी करने की अत्यधिक गुंजाइश प्रदान करता है। मुख्य फसलों (अनाज, दालें, तिलहन) के तहत कुल अथवा सकल फसल क्षेत्र (GCA) का 77 प्रतिशत भाग है परंतु ये फसलें, फसल क्षेत्रक के कुल उत्पादन में केवल 41 प्रतिशत योगदान देती हैं। HVC और मुख्य फसलों के तहत क्षेत्र में बड़े अंतर की वजह से HVC के तहत क्षेत्र में 1 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप मुख्य फसलों के तहत क्षेत्र में 0.25 प्रतिशत की कमी आती है। अतः HVC के तहत क्षेत्र में 1 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप फसल क्षेत्रक के उत्पादन में 0.319 प्रतिशत की वृद्धि होती है (मुख्य फसलों के तहत क्षेत्र को HVC के तहत अंतरित करने की वजह से उत्पादन में कमी को घटाने के बाद)। इन गणनाओं के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि यदि विविधीकरण की विगत प्रवृत्ति, भविष्य में भी जारी रहती है तो इसमें फसल क्षेत्रक के उत्पादन को प्रतिवर्ष लगभग 1 प्रतिशत बढ़ाने की क्षमता है। इसके फलस्वरूप 2022-23 तक किसानों की आय में 5 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। मुख्यतया फसलों की खेती पर गुजारा करने की बजाय वानिकी जैसे अन्य संबद्ध उद्यमों की दिशा में विविधीकरण के द्वारा भी किसानों की आय को बढ़ाने की गुंजाइश है।

फसल गहनता में वृद्धि

भारत में फसल उगाने के दो मुख्य मौसम हैं नामतः खरीफ और रबी जिसकी वजह से एक ही भूखंड पर एक वर्ष में दो फसलों की खेती करना संभव हो जाता है। सिंचाई और नई प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के फलस्वरूप खरीफ के मुख्य मौसम और रबी के मुख्य मौसम के बाद अल्पावधि फसलों को उगाना संभव हो गया है।

किसानों के लिये व्यापार की शर्तों को बेहतर बनाना



किसानों या कृषि क्षेत्र की वास्तविक आय का आकलन करने के लिये विभिन्न अस्फीति कारकों का उपयोग किया गया है। इनमें से कुछ हैं- किसानों द्वारा प्रदत्त मूल्यों का सूचकांक, आगम मूल्यों का सूचकांक और गैर-कृषि वस्तुओं के थोक मूल्यों का सूचकांक आदि। इस कार्य हेतु CPIAL (कृषि श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) का उपयोग अस्फीति कारक के रूप में किया गया है ताकि अनुमानित कृषि आय को वास्तविक कृषि आय में तबदील किया जा सके। CPIAL ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रास्फीति को दर्शाता है और यह कृषक परिवार के समक्ष मौजूद मुद्रास्फीति को किसी भी अन्य सूचकांक की तुलना में अधिक सटीकता से दर्शाता है। कृषि उत्पाद के एवज में किसानों को मिली आय अगर CPIAL की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ती है तो इससे वास्तविक आय में वृद्धि होती है- चाहे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि न हुई हो तो भी।

जोतदारों को गैर-कृषि और सहायक कार्यों में लगाना

ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कार्यबल का 64 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है और कुल ग्रामीण निवल घरेलू उत्पाद में 39 प्रतिशत योगदान करता है (तालिका)। इससे पता चलता है कि कार्यबल कृषि पर एक सीमा से अधिक निर्भर है क्योंकि रोज़गार के अन्य विकल्प नहीं हैं। इससे कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच प्रति श्रमिक उत्पादकता में व्यापक अंतर का भी पता चलता है। अगर जोतदारों की संख्या इसी तरह घटती रही जैसे 2004-05 से 2011-12 के बीच घटी, तो 2015-16 से 2022-23 के बीच यह संख्या 13.4 प्रतिशत घट जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ की उपलब्ध कृषि आय 13.4 प्रतिशत कम किसानों में वितरित होगी।

किसानों की आय बढ़ाने की कार्यनीति




उत्पादन और आय में वृद्धि के स्रोतों को चार श्रेणियों में रखा जा सकता है:

1. अवसंरचना सहित विकास पहलें
2. प्रौद्योगिकी
3. नीतियाँ
4. सांस्थानिक तंत्र।

(1) विकास पहलें

उत्पादन बढ़ाने और लागत को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई कुछ विकास पहलों में शामिल हैं:

- ◆ धानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- ◆ मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- ◆ परंपरागत कृषि विकास योजना।



(2) प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन

उत्पादकता और कृषक आय में संधारणीय वृद्धि के लिये हरित क्रांति के समय से ही भारतीय कृषि में प्रधान रही इनपुट बहुल प्रौद्योगिकियों की जगह नए विकल्प को अपनाने की आवश्यकता है। उत्पादन और किसानों की आय में लगातार वृद्धि के लिये एग्रोनॉमिक प्रौद्योगिकियों, जैसे- प्रेसिजन फार्मिंग का दायरा बढ़ने के साक्ष्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार आधुनिक मशीनों, जैसे- भूमि समतल करने की लेजर मशीन, परिशुद्ध बुआई और रोपण मशीन और पद्धतियों जैसे SRI (धान गहनता प्रणाली), प्रत्यक्ष बोया गया धान, शून्य जुताई, ऊपर उठी क्यारियों में रोपण और मेढ़ रोपण से तकनीकी रूप से उच्च कुशल कृषि होती है। [21,22]

(3) नीतियाँ

भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत व्यापक आर्थिक सुधारों को अपनाया। इन सुधारों में उदारीकरण, विनियमन और निजी क्षेत्र से अत्यधिक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को समाप्त करना शामिल है जिनसे आर्थिक क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिये बड़ी अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा हुईं। इन परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में संघ सरकार ने वर्ष 2002 से कृषि क्षेत्र में कई सुधार किये।

(4) सांस्थानिक तंत्र

भारतीय कृषि में ज्यादातर किसान सीमांत और बहुत छोटे हैं जिन्हें कई तरह के गंभीर नुकसान झेलने पड़ते हैं। खेतों का आकार छोटा होने के कारण कई किसान अधिक प्रकार के फल और सब्जियाँ नहीं उगा पाते जिसका मुख्य कारण यह है कि मूल्य का जोखिम रहता है और विपणन काफी अलाभकारी होता है। छोटे आकार के खेतों के कारण आगम और निर्गम बाजारों में अलग-अलग तरह के लेन-देन के मामलों में भी किसानों की सौदेकारिता शक्ति घटती है। इन समस्याओं का समाधान यह है कि किसानों को किसी सांस्थानिक तंत्र के तहत संगठित किया जाना चाहिये, जैसे- कृषि उत्पाद संगठन।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिये फसल उत्पादकता को 4.1 प्रतिशत और संवर्द्धित पशुधन मूल्य को 6.0 प्रतिशत की दर से बढ़ाना होगा। TFP (जो मुख्यतः कृषि अनुसंधान और विकास का परिणाम है), विस्तार सेवाओं, नए ज्ञान, दक्षता व्यवहार, जैसे- प्रेसिजन कृषि में सालाना 3.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि करनी होगी। भारतीय किसानों को दो फसलों वाली भूमि के प्रतिशत को मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत करना होगा। उच्च मूल्य वाली फसलों वाली भूमि में प्रति वर्ष 4.4 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बाजार सुधार भी इस प्रकार करने होंगे जिनसे किसानों को वास्तविक अर्थों में आधार स्तर से 17 प्रतिशत अधिक मूल्य मिल सके। इसके लिये किसानों को मिलने वाले मूल्यों में प्रति वर्ष 2.26 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कुल मिलाकर, जोतदारों की कुल संख्या में प्रति वर्ष 2.4 प्रतिशत की कमी करनी होगी। मधुमक्खी, पालन, जैसे संबद्ध क्रियाकलापों के अलावा कृषि भूमि पर वानिकी आदि से भी कृषि आय में वृद्धि हो सकती है।



विकास पहले

विकास पहलों में बेहतर प्रौद्योगिकी और वेरायटी के माध्यम से तथा स्तरीय बीजों, सिंचाई, उर्वरक और कृषि रसायनों का उपयोग बढ़ाकर उत्पादकता में वृद्धि करना शामिल है। फसल क्षेत्र के लिये इन परिवर्तियों के लक्षित स्तर को तालिका में दर्शाया गया है जो फसलों और पशुधन से किसानों की आय का लगभग 70 प्रतिशत है। हरित क्रांति के 50 वर्ष के बाद भी अनाज की फसल वाले कुल क्षेत्रफल के केवल 69 प्रतिशत में उच्च उत्पादक किस्मों का उपयोग हो रहा है। चावल जैसी महत्वपूर्ण फसलों में देश के केवल 62 प्रतिशत क्षेत्रफल में उच्च उत्पादक किस्मों का उपयोग होता है- इसके बावजूद कि कुछ राज्य एचवाईवी के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज दर्शा रहे हैं। कम कवरेज वाले राज्यों में प्रमाणित बीज की बेहतर आपूर्ति के साथ पारंपरिक किस्मों वाले क्षेत्रों में उच्च उत्पादक किस्मों का उपयोग किया जा सकता है। किसानों को आधुनिक इनपुट की खरीदारी और कृषि परिसंपत्तियों में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिये सांस्थानिक ऋण एक अन्य महत्वपूर्ण इनपुट है। सांस्थानिक ऋण में उचित दर से बढ़ोत्तरी हो रही है किंतु कई राज्यों में ऋण सुविधा खराब होने और कुल ऋण में मियादी ऋण की हिस्सेदारी घटने जैसे मुद्दे हैं। इसका समाधान करने की आवश्यकता है। [23]

पशुधन उत्पादकता

देश में पशुधन की उत्पादकता बेहद कम है। पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिये नस्ल संवर्द्धन, बेहतर चारा और पोषाहार, पशु स्वास्थ्य तथा बेहतर झुंड समूहबद्धता आवश्यक है। विकास पहलों के लिहाज से 2022-23 तक निर्मांकित लक्ष्यों के सुझाव दिये जाते हैं:

भारत में दुधारू पशुओं और भैंसों में कृत्रिम गर्भधान बमुश्किल 35 प्रतिशत है। कृत्रिम गर्भधान कम रहने का एक मुख्य कारण है- सीमेन स्ट्रॉ। कृत्रिम गर्भधान को उचित स्तर तक पहुँचाने के लिये हमें 160 मिलियन सीमेंट स्ट्रॉ की आवश्यकता है जबकि उपलब्धता केवल 81 मिलियन की है। फिलहाल गर्भधान योग्य 4 मिलियन भैंसों, क्रॉसब्रीड वाले 1.3 मिलियन पशुओं और गर्भधान योग्य 6 मिलियन स्वदेशी पशुओं का प्रजनन हुआ ही नहीं है। इनमें से कम-से-कम 2 मिलियन भैंसों, 0.8 मिलियन क्रॉसब्रीड और 3 मिलियन स्वदेशी पशुओं के मामले में प्रजनन के द्वारा इनकी संख्या 2020 तक और बढ़ जानी चाहिये। 2020 तक भैंसों के युवा होने की उम्र को 3-4 महीने कम करना होगा। फिलहाल मुर्रा भैंसे लगभग 33 माह की उम्र में युवावस्था को प्राप्त करती हैं।



संवर्द्धित प्रौद्योगिकियों का सृजन और प्रसार

किसानों की आय को दोगुना करने के लिये बेहतर किस्मों, नस्लों, व्यवहारों, संवर्द्धित ज्ञान तथा नवप्रवर्तनों के माध्यम से इस क्षेत्र के लिये कुल कारक उत्पादकता में 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करनी होगी जिसके लिये उत्पादकता में वृद्धि करना, इनपुट के प्रभावी उपभोग के माध्यम से उत्पादन की लागत को कम करना, अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिये बेहतर उत्पाद स्तर आवश्यक है। किस्मों, बीजों और कृषि रसायनों के अलावा अन्य प्रौद्योगिकियों- खासकर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण बहुत कम है। कृषि अनुसंधान में मुख्य बल उत्पादकता बढ़ाने, कृषि प्रचालनों के संरक्षण और दक्षता पर ही है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक-आर्थिक और जैव-भौतिक व्यवस्थाओं के लिये कृषि प्रणाली के प्रकारों का विकास करना चाहिये जिसमें कृषि आय पर बल दिया गया हो और सभी प्रौद्योगिकियाँ एक ही पैकेज में हों। इसके लिये प्रत्येक उप-प्रणाली और फसल क्रम, मिश्रित फसल, पशुधन, बागवानी, वानिकी जैसी अन्य उप-प्रणालियों के लिये उत्पादन, संरक्षण और फसल कटाई के बाद मूल्य संवर्द्धन संबंधी प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम व्यवहारों को साथ लाने की आवश्यकता है। [22]

नीतियाँ और सुधार



भारतीय कृषि की संभाव्यता का उपयोग करने और किसानों की आय बढ़ाने की राह में सबसे बड़ी बाधा है- संगठित निजी क्षेत्र की

कृषि में कम भागीदारी होना। कृषि बाज़ार को उदार बनाने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिये कई सुधारों की पहचान की गई है। इसमें राज्यों में APMC अधिनियम में सुधार के लिये सांस्थानिक उपाय करना तथा विपणन में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना शामिल है। अल्पकालिक सुधारों के लिये चिह्नित अन्य दो क्षेत्र हैं- भूमि पट्टे का उदारीकरण और पेड़ों की कटाई/आवाजाही तथा लकड़ी आधारित उद्योग पर लगे प्रतिबंधों में ढील। कृषि और किसानों की आय को बढ़ाने के लिये विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक सुधारों तथा परिवर्तनों की एक सूची तालिका में दी गई है।

A. कृषि विपणन: ई-नैम नामक एक नई पहल शुरू की गई है ताकि राज्य कृषि वस्तुओं के लिये ई-व्यापार मंचों को अपना सकें। इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर देश भर की APMC मंडियों का एकीकरण करना शामिल है।

B. भूमि पट्टा: नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित मॉडल भूमि पट्टा कानून के आधार पर भूमि पट्टा कानून को अधिनियमित करना।

C. निजी भूमि पर वानिकी: वृक्षों की कटाई और ढुलाई पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इमारती लकड़ी और काष्ठ आधारित उद्योग को अनुमति देना।

नीति आयोग एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि सुधारों को लागू और कार्यान्वित करने और विपणन की पद्धति, भूमि पट्टा कानून और कृषि भूमि पर वानिकी में परिवर्तन लाने के लिये राज्यों को सहमत करने के लिये कार्य कर रहे हैं।

उत्पादकों के लिये मूल्य प्रोत्साहन

पिछले पाँच दशकों का अनुभव दर्शाता है कि कृषि विकास पर मूल्यों का गंभीर प्रभाव पड़ता है और वे किसानों की आय के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। किसानों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले मूल्यों पर सुधार का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ने की स्थिति में फसल कटाई के मौसम में मूल्य MSP से नीचे नहीं गिरे, को सुनिश्चित करने के लिये सरकार को मूल्य हस्तक्षेप का विस्तार करना चाहिये। इसका कार्यान्वयन प्रापण के माध्यम से या भरपाई मूल्य भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष मूल्य हस्तक्षेप के माध्यम से होना चाहिये। भरपाई कीमत भुगतान के तहत उत्पादकों को उनके द्वारा बाज़ार में बेची गई उपज की मात्रा के लिये प्रतिनिधि बाज़ार में कृषि फसल मूल्यों और न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बीच अंतर का भुगतान किया जाता है। [21]



भरोसेमंद कृषि निवेश को प्रोत्साहन

आधुनिक प्रणालियों और पद्धतियों के उपयोग की दृष्टि से हमारी कृषि में पूंजी और ज्ञान की कमी रही है। आधुनिक फर्मों के साथ संविदा कृषि के किसानों को इनपुट और उन्नत प्रौद्योगिकी, कौशल अंतरण, गारंटीकृत और लाभकारी मूल्यों और भरोसेमंद बाज़ार तक पहुंच का प्रावधान करने में मदद मिलती है। कृषि उत्पादन में आधुनिक ज्ञान और पूंजी के समावेशन में जोखिम को साझा करने, उपज के लिये आकर्षण बाज़ार उपलब्ध कराने तथा उच्च मूल्य उत्पादों में विविधीकरण के प्रोत्साहन के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी की भूमिका को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री ने बजट 2017-18 के भाषण में उल्लेख किया कि संविदा कृषि पर एक आदर्श कानून तैयार किया जाएगा और अंगीकरण के लिये राज्यों में परिचालित किया जाएगा। बजट भाषण में APMC में से शीघ्र खराब होने वाली कृषि जिनसों को अनधिसूचित करने के लिये बाज़ार सुधारों पर भी ज़ोर दिया गया था।

मूल्य संवर्द्धन को प्रोत्साहन

अनौपचारिक या परंपरागत आपूर्ति श्रृंखलाएँ भारत में कृषि की विशेषताएँ हैं जो स्थानीय मध्यस्थ व्यक्तियों और उसके बाद लघु स्थानीय भंडारों को उत्पाद उपलब्ध कराती हैं। औपचारिक मूल्य संवर्द्धन उसी उत्पाद को सामान्यतः बेहतर अथवा अधिक समान गुणवत्ता में, अधिक वाणिज्यिक फर्मों- थोक विक्रेताओं, सुपर बाजारों या निर्यातकों को उपलब्ध करवा सकते हैं। लघु उत्पादकों को घरेलू और निर्यातमुखी दोनों प्रकार के अधिक आधुनिक मूल्य संवर्द्धन में समेकित करने के लिये मार्ग खोजने की आवश्यकता है। किसानों द्वारा उपज का अधिकांश भाग कच्चे माल के रूप में बेचा जाता है जो फसल कटाई के बाद खेतों से मंडी लाया जाता है। इससे बाजार में आधिक्य की स्थिति पैदा हो जाती है और कीमतें कम रह जाती हैं। किसान कमी के महीनों में बेचने के लिये उपज नहीं रखते हैं। अब भंडारगृह प्राप्ति और WDRA पंजीकृत भंडारगृहों में उपज को रखने के लिये प्रावधान है। इस सुविधा का लाभ कुछ किसान ही उठाते हैं। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में मूल्यों का एकदम नीचे आना आम बात है। कृषि भूमि पर स्थित भंडारण सुविधा की कमी, उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के वैज्ञानिक तरीकों की कमी और देश में खराब प्रसंस्करण आधार, मूल्यों में एकदम कमी के कुछ कारकों में से है। यदि बाजार सुधारों को गंभीरता से कार्यान्वित किया जाता है, तो यह एक बड़े पैमाने पर मूल्य संवर्द्धनों सहित कृषि में निजी क्षेत्रक के प्रवेश के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा। [20]

उत्पादकों के संगठनों को प्रोत्साहन

कृषि कार्य बहुत ही छोटे आकार की उत्पादन इकाइयों द्वारा किया जाता है जो छोटे आकार की कृषि जोतों पर कृषि करते हैं और उनके पास कुछ पशुधन होता है। ऐसी प्रचालनात्मक इकाइयाँ उनके छोटे आकार, खराब सौदेबाजी क्षमता और बाजार तक अपर्याप्त पहुंच के कारण अपने स्तर पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होती हैं। ऐसे उत्पादकों को सामूहिक कार्य, संसाधनों के संग्रहण, समूह विपणन और फसल की कटाई उपरांत मूल्य वृद्धि कारण के लिये संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। केंद्र के स्तर पर एसएफएसी और नाबार्ड देश में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तथापि देश के आकार को ध्यान में रखते हुए एफपीओ के सृजन, पोषण और स्थापना में राज्य स्तरीय एजेंसियों को शामिल करने की आवश्यकता है। अन्य व्यवसाय कंपनियों की तरह कृषि व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिये किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPC) के गठन को सुसाध्य बनाने के लिये कानूनों में प्रावधान सृजित किये गए हैं।

उत्पादन को प्रसंस्करण से जोड़ना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक श्रम गहनता वाला उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण का बढ़ावा देना रोजगार सृजन और कार्यबल का कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरण करने में सहायता प्रदान करेगा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिये विभिन्न पहलों की आवश्यकता है जिनमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों की सक्रिय और समन्वित भागीदारी अपेक्षित है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये, इस लक्ष्य के लिये महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्र जल संसाधन, खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक, उधार, अवसंरचना और ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। किसानों की आय दोगुना करने संबंधी सफलता मुख्यतया राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों की कार्यवाही और उनकी सहभागिता पर निर्भर करेगी।

आगे की राह

किसानों की आय का निम्न स्तर और इसमें प्रतिवर्ष उतार-चढ़ाव कृषि संबंधी संकट का एक प्रमुख कारण है। किसानों की आय का तरंतर निम्न स्तर देश में कृषि के भविष्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का कारण भी बन सकता है। कृषि के भविष्य को सुरक्षित करने और भारत की जनसंख्या के आधे भाग की आजीविका सुधार के लिये किसानों के कल्याण में सुधार और कृषि आय में वृद्धि की ओर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति से कृषि और गैर-कृषि आय के मध्य स्थायी असमानता कम होगी, कृषि संबंधी संकट घटेंगे, समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि क्षेत्रक में गतिशीलता का समावेश होगा।



निष्कर्ष

- 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना निश्चय ही चुनौतिपूर्ण है लेकिन इसकी आवश्यकता है और यह प्राप्य है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कृषि क्षेत्र में (1) विकास पहलों (2) प्रौद्योगिकी और (3) नीतिगत सुधारों पर केंद्रित तीन सूत्री कार्यनीतियों की आवश्यकता है।
- लक्ष्य को हासिल करने के लिये उत्पादन को बढ़ाने वाले संसाधनों की वृद्धि दरों में 33 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। देश में गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक के उपयोग और कृषि क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति में क्रमशः 12.8, 4.4 और 7.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है।
- सिंचित क्षेत्र में 1.78 मिलियन हेक्टेयर का विस्तार और दोहरी फसल वाले क्षेत्र में 1.85 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ोतरी प्रति वर्ष की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त, फलों और सब्जियों के उत्पादन वाले क्षेत्र में 5 प्रतिवर्ष वृद्धि की जाने की आवश्यकता है।[22]
- पशुधन के संबंध में पशुओं की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर चारा, कृत्रिम गर्भाधान में बढ़ोतरी, बच्चे देने के अंतराल में कमी, पहली बार बच्चा देने की आयु में कमी करना वृद्धि के संभावित स्रोत हैं।
- ICAR और प्रदेशों के कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि आय पर ध्यान देते हुए एक पैकेज में उनकी सभी प्रौद्योगिकियों को शामिल कर विभिन्न प्रकार की समाजार्थिक और जैव भौतिक परिस्थितियों के लिये कृषि प्रणाली के प्रतिरूप विकसित करने चाहिये। इसमें अन्य उप-प्रणालियों जैसे फसल क्रम, फल मिश्रण, पशुधन, बागवानी, वानिकी के साथ सभी उप-प्रणालियों के लिये उत्पादन, संरक्षण और फसल कटाई उपरांत मूल्यवर्धन को कवर करते हुए प्रौद्योगिकी और उत्तम पद्धतियाँ शामिल होंगी।
- किसानों की आय में लगभग एक तिहाई वृद्धि बेहतर कीमत प्राप्ति, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन, प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य संवर्धन और संबद्ध कार्यकलापों को अपनाने के माध्यम से सरलता से प्राप्य है। इसके लिये बाज़ार में व्यापक सुधार, भूमि पट्टा और निजी भूमि पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है।
- आधुनिक पूंजी और आधुनिक ज्ञान के अभाव में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्पादन और बाज़ार में उत्तरदायित्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये कृषि को उदार बनाने की आवश्यकता है।
- प्रतिस्पर्द्धात्मक बाज़ार या सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से कृषि उत्पादन के लिये MSP सुनिश्चित करने मात्र से ही बहुत से राज्यों में किसानों की आय में काफी वृद्धि होगी।
- कृषि के लिये अधिकांश विकासात्मक पहलें और नीतियाँ राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य सिंचाई जैसे बहुत से विकासात्मक कार्यकलापों पर केंद्र द्वारा परिव्यय की तुलना में बहुत अधिक निवेश करते हैं। बाज़ार और भूमि पट्टा से संबंधित विभिन्न सुधारों की प्रगति भी राज्यों का विषय है। इसलिये किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को अपनाने और उसे हासिल करने के लिये राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को संघटित करना अनिवार्य है।
- यदि केंद्र और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा संगठित और अच्छी तरह से समन्वित प्रयास किये जाते हैं तो देश वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल कर सकता है।[23]

संदर्भ

1. मार्केट वॉच (2007), प्लास्टिक एक से अधिक तरीकों में हरे हैं
2. ↑ ^ BIO औषधियों के उत्पादन के लिए बनाम खाद्य पदार्थ तथा चारे के लिए पौधों को उगाना।
3. ↑ श्रम बाजार के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन महत्वपूर्ण संकेतक 2008, पी। 11-12
4. ↑ "<https://www.lcia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#Econ>" जाँचें | url= मान (मदद).
5. ↑ ^ लैटिन शब्द लुकअप
6. ↑ ^ लैटिन शब्द लुकअप
7. ↑ न्यूयॉर्क टाइम्स (2005), कभी कभी एक अच्छी चीज की भरपूर फसलकी बहुतायत होती है
8. ↑ न्यूयॉर्क टाइम्स (1986) विज्ञान अकादमी प्राकृतिक खेती की बेहली की सिफारिश की
9. ↑ विश्व बैंक (1995) यूरोपीय संघ में कृषि जल प्रदूषण पर काबू पाना
10. ↑ ^ यूरोपीय आयोग (2003) CAP सुधार
11. ↑ न्यूयॉर्क टाइम्स (सितंबर 2007) एट टायसन एंड क्राफ्ट, अनाज की लागत मुनाफे को सीमित कर देती है
12. ↑ ^ तेल भूल जाओ, नई वैश्विक संकट है भोजन
13. ↑ दंगों और भूख की वजह से अनाज की की मांग बढ़ गयी और उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई
14. ↑ आलरेडी वी हेव रायट्स, हॉर्डिंग्स, पेनिक: दी साइन ऑफ थिंग्स टू कम?!
15. ↑ ^ फीड द वर्ल्ड? हम एक हार हुई जंग लड़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र न कहा।



16. ↑ ^ मिलियन फेस फेमाइन अस क्रोप डिजीज रेजेस
17. ↑ 700-billions-at-risk-from-wheat-superblight.html "Billions at risk from wheat super-blight" जाँचें |url= मान (मदद). New Scientist Magazine (issue 2598): 6–7. 3 अप्रैल 2007. अभिगमन तिथि 19 अप्रैल 2007.
18. ↑ लियोनार्ड, के जे ब्लैक स्टेम रस्ट बायोलोजी एंड थ्रेट टू व्हीट ग्रोवेर्स, USDA ARS
19. ↑ जलवायु में परिवर्तन के कारन वैश्विक खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है और जनसंख्या वृद्धि के कारण उपजाऊ भूमि में कमी आती जा रही है
20. ↑ अफ्रीका में अपनी जनसंख्या के केवल 25% भग को ही भोजन उपलब्ध करा पायेगा
21. ↑ ^ फार्मिंग ओल्डर देन थोट | कैलगरी विश्वविद्यालय
22. ↑ ^ दी इम्पेक्ट ऑफ़ दी पेटेटो हिस्ट्री मैगजीन
23. ↑ ^ सुपर-आकार के कसावा पौधे फ्रीका में भूख से लड़ने में मदद कर सकते हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी



**Impact Factor:
7.569**



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details